कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–1202 / FP/UK/ROAD/10123/2015 :देहरादूनःदिनांकः 02 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोहनखाल से ताली कनसाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.45 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/10123/2015)

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या– 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 116 / 2015 / एफ0सी0 / 2554 दिनांक 04–03–2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.9 है0 ग्राम–पाव सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 11,28,480.00 ऑनलाईन तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 4.9 हे0 ग्राम–पाव सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया जा चुका है। म्यूटेशन की गयी भूमि के अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 16,09,650.00 ऑनलाईन तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पीएमजीएसवाई, लो0नि0वि0, पोखरी के पत्रांक 929 / 1सी0 वन भूमि दिनांक 29–07–2017 के द्वारा शर्तें मान्य होने के सम्बन्ध में लिखा गया है।
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार ऑनलाईन जमा की गयी कुल धनराशि रू0 27,38,130.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पीएमजीएसवाई, लो0नि0वि0, पोखरी के पत्रांक 929 / 1सी0 वन भूमि दिनांक 29–07–2017 के द्वारा शर्तें मान्य होने के सम्बन्ध में लिखा गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या / FP/UK/ROAD/10123/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पीएमजीएसवाई, लो0नि0वि0, पोखरी।
4. मुख्य अभियन्ता, यूआरआरडीए, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक